



पत्रांक 2277/7सी0

दिनांक 15 सितम्बर 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम, वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय: जनपद अल्मोड़ा में चैलछीना-बसन्तपुर-जैती मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं0 38787/2019)

संदर्भ: आपका कार्यालय पत्र सं0 1092/12-1 दिनांक 07.09.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयगत मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पूर्व में वर्ष 2014 में ऑनलाईन किये गये थे जिसका प्रस्ताव सं0 7643/2014 था जो वर्ष 2018 में ऑनलाईन पोर्टल से बिलुप्त हो गये। इस कार्यालय के पत्र सं0 1672/50सी0 दिनांक 16 अगस्त 2018 एवं पत्र सं0 2071/50सी0 दिनांक 19 अक्टूबर 2018 से प्रस्ताव को ऑनलाईन पोर्टल पर प्रदर्शित करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया (पत्रों की प्रति संलग्न) किन्तु प्रस्ताव ऑनलाईन पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो पाये। इस कार्यालय द्वारा पुनः वर्ष 2019 में पुनः ऑनलाईन किया गया जिसका प्रस्ताव सं0 38787/2019 है। उक्त मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव एवं क्षेत्रफल में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पूर्व में ही वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव विभिन्न स्तरों को प्रेषित किये गये हैं वर्तमान में पार्ट I की प्रति, वृक्षों की सूची, जियो रैफरेंस मैप, सर्वे ऑफ इण्डिया का मानचित्र, प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि की मांग का औचित्य 4-4 प्रतियों में संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण में स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रोत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार 4-4 प्रतियों में।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

पत्रांक:- /7सी0

तददिनांक

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता(चतुर्थ) प्रा0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।